

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 224171

पटना, दिनांक:- 17/03/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-बजट(केन्द्रांश आवंटन)-106-11/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

विशेष सचिव-सह-निधि प्रबंधक,
बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 का इंदिरा आवास योजनान्तर्गत केन्द्रांश प्रथम किस्त की राशि का जिला में हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 का इंदिरा आवास योजनान्तर्गत केन्द्रांश प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त की गयी सहायक अनुदान की राशि जिलों को हस्तांतरित करने के लिए वर्ष 2014-15 में विहित प्रक्रिया अपनाकर राशि की निकासी कर बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाइटी (BRDS) के संचालनाधीन स्टेट रूरल हाउसिंग फण्ड के नाम से बैंक ऑफ इंडिया, वीरचन्द्र पटेल मार्ग शाखा, सोन भवन, भूतल, आर0 ब्लॉक, पटना-800001 में संधारित खाता संख्या-441020110000167, IFSC Code-BKID 0004410, MICR Code-800013003 में जमा किया गया है । जमा की गई केन्द्रांश मद की राशि में से ₹ 2016.182 लाख (बीस करोड़ सोलह लाख अठारह हजार दो सौ रुपये) निम्न रूप से RTGS के माध्यम से जिला को हस्तांतरण किया जाय :-

(राशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	हस्तांतरित की जाने वाली राशि			अभ्युक्ति
		सामान्य के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	मधुबनी	387.824	-	387.824	
2.	बाँका	-	190.439	190.439	
3.	बेगूसराय	-	252.263	252.263	
4.	जमुई	-	163.125	163.125	
5.	कैमूर (भभुआ)	-	175.781	175.781	
6.	कटिहार	-	178.763	178.763	
7.	पूर्णियाँ	-	257.250	257.250	
8.	रोहतास	-	89.437	89.437	
9.	सारण	-	106.050	106.050	
10.	सिवान	-	215.250	215.250	
कुल :-		387.824	1628.358	2016.182	

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
(प्रदीप कुमार) 16.3.15
सरकार के सचिव

जापांक:- 224171

पटना, दिनांक:- 17/03/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव
16.3.15